प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ANDHRA PRADESH HYDERABAD - 500 004.

दिनांक / Date :

PM/VI/2012-13/OG-GO/

To

The Director of Treasuries and Accounts
4th floor Rajaram Building
Tilak Road Abids
Hyderabad

Sir,

Sub:- Forwarding of Orders relating to payment of additional quantum of pension to Rajasthan pensioners.

Ref:- 1.Govt. of Rajasthan Lr No P5(254/Rule/2011/Part-I/1551-99H Dt 16.08.2012.
2. PAG (A&E) Rajasthan SSA No PA/Other Pensions/SS/2012-12/2342 Dt 18.09.2012

***

I am herewith enclosing a Special Seal Authority issued by the Principal Accountant General (A&E) Rajasthan, Jaipur in the reference cited. The same is being placed in this office official website (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully,

Sr Accounts Officer

Copy To
Joint Director,
M J Road, Jambagh
Pension Payment Office,
Nampally,
Hyderabad for information and necessary action.

Sr Accounts Officer

दू०भा०/ Phone : 040-23236810-19, ई-मेल / E-mail : agaeAndhrapradesh@cag.gov.in
Web Site : http://ag.ap.nic.in फैक्स / Fax : 040-23232441 तार / Grams : Accounts

0126449665
19/9

Spl sec
PM

प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक.)
O/o. Prl. A.G. (A&E)
INWARD
24 SEP 2012

रजिस्टर्ड

विशेष मुद्रा प्राधिकृति के अन्तर्गत

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांकः- पीए/अतिरिक्त पेंशन/वि.मु./2012-12/2342 दिनांकः- 18/9/12

के एल बैरवा

प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (लेखा एवं हक.),
आन्ध्र प्रदेश, सैफाबाद रोड,
हैदराबाद, - 500 004

विषयः- 80 वर्ष की आयु पर अतिरिक्त पेंशन के भुगतान के संबंध में जारी पत्र की प्रतिलिपि ।

संदर्भः- निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान,जयपुर द्वारा जारी पत्र क्रमांक प.5 (254) निपेवि/नियम/2011/पार्ट-1/1551-99 H दिनांक 16.08.2012

229692
25/9/12

महोदय,

राजस्थान सिविल सेवा नियम 1996 के नियम 54 (क) में 80 वर्ष या उससे अधिक आयु पर अतिरिक्त पेंशन/अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन के भुगतान के संबध में दिनांक 16.8.2012 को निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान,जयपुर द्वारा जारी पत्र क्रमांक 5 (254) नि.पे.वि./नियम /2011 पार्ट I /1551-99 -H की प्रतिलिपि संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं ।

आपसे अनुरोध है कि संलग्न पत्र की प्रतिलिपि अपने क्षेत्राधिकार क्षेत्र में समस्त कोषाधिकारी/पेंशन भुगतान अधिकारियों/पेंशन भुगतान हेतु अधिकृत बैंक शाखाओं को प्रेषित कर इसमें अंकित निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु उचित निर्देश प्रदान करें ।

आपके कार्यालय द्वारा समस्त कोषाधिकारियों/पेंशन भुगतान अधिकारियों/पेंशन भुगतान हेतु अधिकृत बैंक शाखाओं अधिकारियों को प्रसारित किये गये निर्देशों की प्रति इस कार्यालय एवं निदेशक, पेंशन एवं पेशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान,जयपुर को भी भिजवाने का श्रम करें ।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,
के एल बैरवा
लेखाधिकारी/पीए

क्रमांकः- पीए/अतिरिक्त पेंशन/वि.मु./2012-12/ दिनांकः-

(1) प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखा परीक्षा) राजस्थान,जयपुर ।
(2) प्रधान महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा) राजस्थान,जयपुर ।
(3) शाखाधिकारी आन्तरिक लेखा परीक्षा अनुभाग (आई.टी.ए.एस.)
(4) शाखाधिकारी,कोष निरीक्षण प्रकोष्ठ (टी.आई.सैल)
(5) शाखाधिकारी, पी.एफ.आर.अनुभाग ।
(6) निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग,जयपुर को सूचनार्थ ।
(7) विशेष सचिव वित्त विभाग (नियम खण्ड) सचिवालय,जयपुर को सूचनार्थ ।
(8) अध्यक्ष भारत पेंशन समाज पो.बा.नं.3307 जयपुर एक्सटेंशन नई दिल्ली - 110014

के एल बैरवा
लेखाधिकारी/पीए

राजस्थान सरकार

निदेशालय, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर

कमांकः– प.5 (254)निपेवि / नियम / 2011 / पार्ट–I 1551-99 H दिनांकः 16.08.2012

____

____

____

____

विषय– 80 वर्ष की आयु पर अतिरिक्त पेंशन के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

राज. सिविल सेवा नियम 1996 के नियम 54(क) में 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु पर अतिरिक्त पेंशन / अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन के भुगतान का प्रावधान किया गया है, जो दिनांक 1.1.2007 से प्रभावी हैं। इस प्रावधान के कियान्वन हेतु पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर की जन्म तिथि पेंशन भुगतान आदेश / पारिवारिक पेंशन भुगतान आदेश में अंकित की जाती है। साथ ही 80 वर्ष की उम्र प्राप्त कर लेने पर संबंधित कोषाधिकारी द्वारा अतिरिक्त पेंशन भी अधिकृत की जाती है।

पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर की जन्म तिथि पीपीओ / एफपीपीओ में दर्ज है परन्तु अतिरिक्त पेंशन अधिकृत नहीं हैं, उस स्थिति में पेंशनर द्वारा मूल पीपीओ के साथ बैंक शाखा पर आवेदन करने पर बैंक शाखा द्वारा आवेदन मय पेंशन पत्रावली के संबंधित कोषाधिकारी को अतिरिक्त पेंशन अधिकृत करने के लिए भिजवाया जाना चाहियें।

यदि पारिवारिक पेंशनर की जन्म तिथि पेंशन विभाग द्वारा निर्धारित कर प्रति पेंशनर को दी गई है तथा पेंशनर अपने पीपीओ हाफ के साथ पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत कर जन्म तिथि के इन्द्राज हेतु आवेदन बैंक शाखा पर करता है तो बैंक शाखा द्वारा आवेदन मय पेंशन पत्रावली के संबंधित कोषाधिकारी को जन्मतिथि दर्ज करने हेतु भिजवायां ज़ाना चाहियें।

पेंशन भुगतान आदेश / परिवार पेंशन आदेश पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर की जन्म तिथि अंकित होने व कोषाधिकारी द्वारा अतिरिक्त पेंशन अधिकृत होने पर बैंक द्वारा जन्म तिथि से संबंधित माह की पहली तारीख से अतिरिक्त पेंशन का भुगतान करा दिया जाना चाहिए।

अतः आपसे अनुरोध हैं कि उपरोक्त निर्देश अपनी अधीनस्थ शाखाओं को पालनार्थ भिजवाने का श्रम करें।

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक)
Office of the Pr. Accountant General
(Accounts & Entitlement)
पावती सं. / Receipt No. 7686
17 AUG 2012
राजस्थान, जयपुर-302 005
Rajasthan, JAIPUR-302 005

निदेशक

कमांकः– प.5 (254)निपेवि / नियम / 2011 / पार्ट–I 1551-99 H दिनांकः 16.08.2012

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. समस्त कोषाधिकारी, (राजस्थान)
2. महालेखाकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।

निदेशक

Gov.I